अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

बनवारी रेगर पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी गांगवा तहसील परबतसर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम जाति खटीक निवासी लूणवां तहसील नावां।
2. कुनणाराम पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
3. कानाराम पुत्र चन्द्रा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
4. कालूराम पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
5. नर्मदा पत्नि गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
6. नाथूराम पुत्र घीसाराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
7. प्रकाश पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
8. बद्रीराम पुत्र पीथा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
   - 8/1 चुकादेवी पत्नि फौत
   - 8/2 प्रेमाराम पुत्र
   - 8/3 शांतिदेवी पुत्री
   - 8/4 मन्जुदेवी पुत्री
   - 8/5 सन्तोष पुत्री
   - 8/6 बाबूलाल पुत्र फौत
     - 8/6/1 सुरज्ञान पत्नि बाबूलाल
     - 8/6/2 मुन्नाराम प बाबूलाल
9. मदन पुत्र पीथा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
10. रेखा पुत्री प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
11. संजू पुत्री प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
12. राजूराम पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
13. सोहन पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
14. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक मीठडी।
15. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।
16. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां(भूमिधारी) तहसील नावां।

निर्णय दिनांक :— 08.11.2023

मुकदमां नम्बर :— 242A/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश कुमार अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम मीठड़ी तहसील नावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 1.89 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 1225 रकबा 1.99 हैक्टर खसरा नम्बर 985 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी बनवारी रेगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.11.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

बनवारी रेगर पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी गांगवा तहसील परबतसर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम जाति खटीक निवासी लूणवां तहसील नावां।
2. कुनणाराम पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
3. कानाराम पुत्र चन्द्रा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
4. कालूराम पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
5. नर्मदा पत्नि गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
6. नाथूराम पुत्र घीसाराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
7. प्रकाश पुत्र प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
8. बद्रीराम पुत्र पीथा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
   8/1 चुकादेवी पत्नि फौत
   8/2 प्रेमाराम पुत्र
   8/3 शांतिदेवी पुत्री
   8/4 मन्जुदेवी पुत्री
   8/5 सन्तोष पुत्री
   8/6 बाबूलाल पुत्र फौत
   8/6/1 सुरज्ञान पत्नि बाबूलाल
   8/6/2 मुन्नाराम प बाबूलाल
9. मदन पुत्र पीथा जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
10. रेखा पुत्री प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
11. संजू पुत्री प्रभूराम जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
12. राजूराम पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
13. सोहन पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
14. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक मीठडी।
15. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।
16. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां(भूमिधारी) तहसील नावां।

<u>दावा वास्ते इस्तरकरा हक, भू–विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादी

मुकदमा नम्बरः 242A / 2022 निर्णय दिनांकः– 08.11.2023

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम मीठड़ी तहसील नावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225 रकबा 1.99 हैक्टर खसरा नम्बर 985 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

स्थित रही है। उक्त भूमि में वादी का 16/451 हिस्सा की भूमि वादी काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने काफी वर्षों पूर्व आपसी सहमति से मौके पर काबिज होकर बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उपरोक्त खसरान की भूमि पर क्रय दिन से ही कब्जा करके अपने हक हिस्से की भूमि पर पट्टी कातले इत्यादि लगाकर कब्जा कायम कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि में काबिज खातेदार चले आ रहे है इसी अनुसार नाप चौक करके भू-विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाना आवश्यक है। वादी अपने कब्जा शुदा भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं एवं वादी अपने हक हिस्से की भूमि का अलग भू-विभाजन करवाने का मुश्तहक है। राजस्व ग्राम मीठड़ी तहसील नावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225 रकबा 1.99 हैक्टर खसरा नम्बर 985 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि में वादी के हक हिस्से पर काबिज किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर काबिजानुसार भू-विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करावे एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9, 12, 13, 14 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 की फौत होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को उनके भाई प्रतिवादी संख्या 2, 4, 7 के पक्ष में हकत्याग करने से प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का नाम हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/5, 8/6/1, 8/6/2 बावजूद सूचना होने पर भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी बनवारी रेगर, पी. डब्ल्यू.2 गोरधनराम, पी.डब्ल्यू.3 रामचन्द्र के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225 रकबा 1.99 हैक्टर खसरा नम्बर 985 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

भूमि अनुसार वादी बनवारी रेगर की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम मीठड़ी तहसील नावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225 रकबा 1.99 हैक्टर खसरा नम्बर 985 रकबा 0.63 हैक्टर कुल रकबा 4.51 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी बनवारी रेगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। संबंधित बैंक में खातेदारों का रहन यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested